176

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 17 जून, 2025 की बैठक का कार्यवृत्त

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 17 जून, 2025 को 04.00 बजे प्रशासनिक खण्ड के प्रथम तल पर स्थित समिति कक्ष में निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

1.	आचार्य अमित पात्रा, निदेशक	-	अध्यक्ष
2.	आचार्य देवेन्द्र सिंह, अधिष्ठाता (शैक्षणिक कार्य)	-	सदस्य
3.	आचार्य राजेश कुमार, अधिष्ठाता (छात्र कल्याण)	-	सदस्य
4.	आचार्य हीरालाल प्रामाणिक, अधिष्ठाता (संसाधन एवं पूर्व छात्र)	-	सदस्य
5.	आचार्य संजय कुमार पांडेय, गणितीय विज्ञान विभाग	-	सदस्य
6.	श्री राजन श्रीवास्तव, कुलसचिव (प्रभार)	-	सदस्य
7.	डॉ. सर्वेश कुमार तिवारी, संयुक्त कुलसचिव (प्रशासन एवं लेखा)	-	सदस्य
8.	आचार्य अनिता मोहन, भौतिकी विभाग	-	सदस्या
9.	डॉ. लावण्या सेल्वागनेश, सह आचार्य, गणितीय विज्ञान विभाग	-	सदस्या
10.	डॉ. अमित कुमार सिंह, उप कुलसचिव (राजभाषा)	-	सदस्य सचिव

आचार्य अनिल कुमार त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा आचार्य सुशांत कुमार श्रीवास्तव, अधिष्ठाता (अनु0 एवं विकास), अधिष्ठाता(संकाय कार्य) बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

उपरोक्त बैठक में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों के अतिरिक्त श्री शशांक पाठक, हिन्दी अनुवादक तथा वेबसाइट से जुड़े मुद्दे के लिए श्री महेश पांडेय, प्रणाली विशेषज्ञ उपस्थित रहे। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची के मदों पर चर्चा प्रारम्भ की गई।

मद सं. 1: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 19 दिसंबर, 2024 की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:

दिनांक 19 दिसंबर, 2024 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की समिति ने पुष्टि की।

मद सं. 2: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 19 दिसंबर, 2024 की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा:

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 19 दिसंबर, 2024 की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

1. शैक्षणिक प्रपत्रों के मामले में यह अवगत कराया गया कि राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा हिंदी में तैयार कुल 18 शैक्षणिक प्रपत्रों को विद्वत सभा (सीनेट) की बैठक में शामिल के लिए शैक्षणिक कार्यालय से पत्र दिनांक 16 जून, 2025 के माध्यम से पुनः अनुरोध किया गया है। इस संबंध में हाल ही में आयोजित होने वाली सीनेट के कार्यसूची के अतिरिक्त मद में शामिल करवाने का निर्णय लिया गया है। शैक्षणिक कार्य कार्यालय को हिंदी में तैयार सभी प्रपत्र हार्ड कॉपी एवं ई-मेल से उपलब्ध करा दिए गए हैं।

2. संस्थान की वेबसाइट (iitbhu.ac.in) के हिंदीकरण के क्रम में सी.सी.आई.एस से यह जानकारी प्राप्त हुई कि अँग्रेजी में विद्यमान वेबसाइट का तकनीकी उन्नयन (technology upgradation) के बाद ही हिंदी वेबसाइट का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस संबंध में श्री महेश पांडेय ने बताया कि शीघ्र ही तकनीकी उन्नयन का कार्य समाप्त करके राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अगली बैठक में वेबसाइट का कुछ भाग हिंदी में करके दिखाया जाएगा।

3. समिति को राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया गया तथा यह बताया गया कि इन कार्यक्रमों/गतिविधियों में काफी प्रगति हुई है।

4. राजभाषा पत्रिका के संबंध में यह अवगत कराया गया कि कुल 30 लेख/कहानी/कविता प्रकाशन हेतु प्राप्त हुई है एवं पत्रिका के नामकरण हेतु छात्रों के बीच प्रतियोगिता आयोजित कारवाई जाएगी। अध्यक्ष सह निदेशक महोदय ने राजभाषा प्रकोष्ठ को दो वैज्ञानिक/तकनीकी लेखों की पत्रिकाएँ भी सौंपी, जो संस्थान के पत्रिका प्रकाशन में काफी उपयोगी होगी।

मद सं. 3: उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग द्वारा किए गए राजभाषा निरीक्षण की अनुपालन रिपोर्ट।

समिति को दिनांक 17.03.2025 को हुई राजभाषा निरीक्षण के उपरांत सभी बिन्दुओं पर किए गए कार्रवाई/अनुपालन रिपोर्ट से अवगत कराया गया। इस संबंध में हिंदी पुस्तकों के क्रय को बढ़ाने के लिए भौतिक रूप में पुस्तकों के क्रय के साथ ऑनलाइन सब्स्क्रिप्शन पैकेज को लेने के लिए मुख्य ग्रंथालय द्वारा विचार किया जा सकता है।

S. Lavanya शशांक पाठक राजेश सर्वेश अमित

कृ.पृ.उ.

मद सं. 4: राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हिन्दी के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के मदों पर चर्चा:

राजभाषा प्रभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2025 को जारी परिपत्र में उक्त वार्षिक कार्यक्रम को एक मद के रूप में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में रखने तथा इसके निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चर्चा करने का अनुरोध किया गया था, जिसके तारतम्य में वार्षिक कार्यक्रम के सभी मदों पर चर्चा की गई तथा संस्थान में मूल पत्राचार, हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में, वेबसाइट हिंदी में, टिप्पण प्रतिशत, हिंदी प्रशिक्षण की स्थिति वर्तमान प्रगति/प्रतिशत को बताया गया।

मद सं. 5: राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े अन्य मद :

क) संस्थान के संयुक्त कुलसचिव (लेखा) एवं सदस्य, रा.भा.का.स. ने यह बताया कि जनवरी-मार्च 2025 तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक निदेशक महोदय की अध्यक्षता में नहीं हुई है। यह अवगत कराया गया कि दिनांक 17 मार्च, 2025 को उप निदेशक (राजभाषा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संस्थान का राजभाषा निरीक्षण किया गया था, जिसके अंतर्गत निदेशक महोदय से औपचारिक भेंट के उपरांत कार्यालय प्रमुख (कुलसचिव महोदय) की अध्यक्षता में राजभाषा बैठक आयोजित हुई थी। संयुक्त कुलसचिव महोदय ने यह सुझाव दिया कि वर्ष में कुल चार बैठकें निदेशक महोदय की अध्यक्षता में ही आयोजित किए जाए।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) की बैठकों का तिथिवार विवरण इस प्रकार है –

क्रम संख्या	तिमाही	बैठक की तिथि
क)	अप्रैल-जून	03 अप्रैल, 2024
ख)	जुलाई-सितंबर	02 जुलाई, 2024
ग)	अक्तूबर-दिसंबर	19 दिसंबर, 2024

जनवरी से मार्च 2025 तिमाही में राजभाषा से संबन्धित विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत राजभाषा पत्रिका की दो बैठकें (दिनांक 10 जनवरी, 2025 एवं दिनांक 15 जनवरी, 2025), हिंदी ई--टूल्स पर कार्यशाला (दिनांक 24 फरवरी, 2025 एवं दिनांक 25 फरवरी, 2025), कवि सम्मेलन (दिनांक 27 फरवरी, 2025) तथा राजभाषा निरीक्षण सह बैठक (दिनांक 17 मार्च, 2025) कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए।

ख) संस्थान के कुलसचिव (प्रभार) सह सदस्य रा.भा.का.स. ने यह अवगत कराया है कि प्रत्येक बैठक में हिंदी प्रगति रिपोर्टों की तुलनात्मक समीक्षा की जाती है। वर्तमान बैठक में इसकी समीक्षा प्रस्तुत नहीं की गई है। यह बताया गया कि इस बार शिक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 का लक्ष्य एक मद के रूप में रखा गया है। उन्होंने यह अनुरोध किया कि निम्नलिखित समीक्षा रिपोर्ट को प्रत्येक राजभाषा की बैठक में एक मद के रूप में अवश्य शामिल किया जाए, जिससे राजभाषा के कार्यों की प्रगति को समिति के समक्ष रखा जा सके। अतः इस संबंध में वर्ष 2024- 25तिमाहियों का वार्षिक तुलनात्मक विवरण /उत्तरोत्तर प्रगति रिपोर्ट इस प्रकार है :

मद	अप्रैल-जून 2024	जुलाई-सितंबर 2024	अक्तूबर-दिसंबर 2024	जनवरी-मार्च 2025
1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत द्विभाषी रूप में जारी कागजात का प्रतिशत	100%	100%	100%	100%
2.हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में	100%	100%	100%	100%
3.अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने की स्थिति	89%	72%	75%	79%
4.हिंदी में भेजे गए मूल पत्र	72%	74%	72%	75%
5.फाइलों पर हिंदी में टिप्पण की स्थिति	हिंदी में - 87%	हिंदी में- 77%	हिन्दी में- 75%	हिन्दी में- 88%